कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर, छत्तीसगढ़

//आदेश//

क्रमांक/13216 /शिका.जांच/न्याया./2025 बिलासपुर, दिनांक 22/10/2025

कार्यालयीन आदेश क्रं./10804/शिका.जांच/2025 बिलासपुर दिनांक/10/09/2025 के द्वारा श्री सी.एस.नौरके, सहायक ग्रेड–2 कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मस्तूरी को सहायक शिक्षक श्री संतोष कुमार साहू शास.प्राथ.शा.खपरी, वि.ख.मस्तूरी के चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान के एवज में पैसे के लेन–देन का आडियो मिडिया में प्रसारित होने एवं दैनिक समाचार दिनांक 10.09.2025 को उक्ताशय का प्रकाशन होने के कारण निलंबित किया गया था। ततपश्चात उन्हे कार्यालयीन पत्र क/12253/ बिलासपुर दिनांक 30/09/2025 के द्वारा आरोप पत्र जारी कर जवाब चाहा गया। श्री सी.एस.नौरके, सहा.ग्रेड–2 के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादउत्तर का अवलोकन किया गया, पूर्ण रूप से संतोषप्रद नही पाया गया। विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मस्तूरी द्वारा अपने पत्र कमांक/2849/स्था./बहाल/2025 दिनांक 03/10/2025 द्वारा लिपिकों की कमी होने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ हैं।

अतएव श्री सी.एस. नौरके, सहा.ग्रेड–2 का आगामी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाती है, साथ ही चेतावनी दिया जाता है कि भविष्य गलतियों का पुनरावृत्ति होने पर नियमानुसार कार्यवाही किया जावेगा। श्री सी.एस.नौरके, सहा.ग्रेड–2 को निलंबन से बहाल करते हुए कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मस्तूरी जिला बिलासपुर मे पदांकित किया जाता है।

श्री सी.एस. नौरके, सहा.ग्रेड–2 का निलंबन काल को समस्त प्रयोजनो हेतु कार्य अवधि मान्य किया जाता है।

जिला शिक्षा अधिकारी
बिलासपुर छ0ग0

पृ0क्रमांक/13217 /शिका.जांच/न्याया./2025 बिलासपुर, दिनांक 22/10/2025

प्रतिलिपि–

1/ संचालक, लोक शिक्षक संचालनालय इन्द्रावती भवन अटल नगर रायपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2/ कलेक्टर, बिलासपुर छ0ग0 को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3/ संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
4/ प्राचार्य शास.उ.मा.वि.पचपेड़ी, वि.ख.मस्तूरी को सूचनार्थ।
5/ विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मस्तूरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6/ कार्यालयीन मु0लि0/स्थापना खण्ड प्रभारी को सूचनार्थ
7/ श्री सी.एस. नौरके, सहा.ग्रेड–2 को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
बिलासपुर छ0ग0